<u>राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u>

NCBC/08/12/151/2020-KSP

<u>लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया दिनांक 08.09.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त</u>

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री एम. आर. कुमार, चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया
3. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, प्रबंध संचालक, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया
4. श्रीमती प्रतिभा खैर, कार्यकारी निदेशक(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया
5. श्री बी. के. पति, उपसचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- नमस्कार सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> जी नमस्कार।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि एलआईसी का गठन कब हुआ था?

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- सर, 01.09.1956 को।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> एलआईसी में ओबीसी को आरक्षण देना कब शुरू हुआ था?

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- 08.09.1993 से।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> वर्तमान समय में क्लास 1 में ओबीसी का एलआईसी में कितना प्रतिनिधित्व है?

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- 24% है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपने जो जवाब में भेजा है उसमें किस पेज पर है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- सर Annexure 1 पर है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- पेज न. 5 पर प्रश्न संख्या 8 में जो आपने भेजा है वह क्या है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ये 24%रिक्रूटमेंट का रिप्रिजेंटेशन है, ओवर आल में 9.6 है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- रिक्रूटमेंट का रिप्रिजेंटेशन क्या है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- सर, 08.09.1993 के बाद जो भर्ती हुआ है उसमें जो क्लास 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है उसका प्रतिशत है ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- और ये क्या है? (जवाब दिखाते हुए)

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ये जो टोटल स्टाफ है हमारा, आज की तारीख में जितने क्लास 1 है, इसमें वो लोग प्रमोशन से भी आते हैं।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir, After 1956 to 1993, there was no reservation. So all those people who are OBC doing that period, we don't know who they are . So this is the total sir but recruitment is 24%. ये Existing Strength है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- दोनों जवाब जो आप बता रहे है कि आपका जो Existing staff है वो 6.99% है और रिक्रूटमेंट जो आपने अभी तक किया है वो 24% हैं, इस जवाब को आप हमको शपथ पत्र पर दीजिये।

11/8/2023

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इस लिस्ट में ओबीसी के एम्प्लाई है जो own merit पर आये है या वो अलग है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- इसके पहले जो बैच था, 29 बैच, उसमें 232 ओबीसी was taken and 43 were own merit sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इस लिस्ट में जो 6.99% है इसमें own merit वाले इमें Included है या Exclude है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- सर, उसमें तो मेरिट वाले रोस्टर प्वाइंड में आयेंगे नहीं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इस डाटा में own merit वाले है कि नहीं?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- वो होंगे सर, but they are not shown against OBC point. Sir they are not included because that data given by rosters.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Not included sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- ये Annexure 1 आपने दिखाया है 590 vacancies in 2019 declared और 11 शार्टफाल हैं इतना शार्टफाल होने का क्या कारण है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- 11 का शार्टफाल था सर initial cadre में।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इसमें 11 शार्टफाल है क्लास 2 में इतना शार्टफाल क्यों?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir, recruitment process पूरा नहीं हुआ है। वैकेंसी जितना नोटिफाई किया था उसका 60% ही रिक्रूट हुआ है टोटल में ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- हमको ये बताइये कब से रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ है आपका?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- जो लास्ट राउंड का है जितना हमको भर्ती करना था उतने कैंडिडेट मिले नहीं है सर।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- क्लास 2 और क्लास 3 में यहीं हुआ है, वो अभी जारी है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- चेयरमैन साहब, आपके पास तो समय नहीं होगा देखने के लिये और एचआर मैडम भी जिस तरह से जवाब दे रहीं हैं हमको नहीं लगता कि कभी देखी होंगी। 2008 में 52 शार्टफाल था 2009 में बढ़कर यह 76 हो गया 2010 में 143 हो गया और 2019-20 में ये 693 हो गया, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं उसके हिसाब स पिछले 12 वर्षों में आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। जो आपका डाटा बता रहा है। 2007 में शार्टफाल था और 2019-20 आते आते 693 शार्टफाल हो गया।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- सर, क्लास-2 में एक दो वर्ष रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है क्योंकि We are taken with ministry for reservation for vacancy quota तो 102 shortfall constant for three year और इस साल करने की कोशिश की हमने। पर जो ये ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट मिले नहीं हमे, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे इसको भरने के लिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- UR में कितना शार्टफाल है?

40.

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir, total 8580 declare हुआ था उसमें से 4582 रही रिक्रूट हुए है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- मैं पूछ रहा हूँ कि यूआर में 2019-20 में कितना शार्टफाल है।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:-Sir, Out of 8580 declared vacancy, we were able to fill only total 4582. Out of this reserved is 1733, where we have shortfall of 693. If you take 4582 as total recruited, almost another 4000 recruitment have no t happened and still has toi happen that we will be able to fill up, that include UR, everybody.

एमडी, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- मैं कुछ बोल सकता हूँ सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- हां बताइये।

एमडी, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ये जो शार्टफाल प्रत्येक वर्ष का देख रहे है उसके बाद एक second last column है जिसमें ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी filled है, तो हर अगले रिक्रूटमेंट में हम भरते जा रहे है 52 जो थी 52 अगले रिक्रूटमेंट में भर दिया है 76 बैकलाग को आगे 76, 143 को 143, ये जो है आखिरी वाली 693 शार्टफाल है उससे पिछले वाले 102 में से भी 101 भर ली गयी है। और ये 8580 रिक्रूट करने थे पर 4582 ही आये है उसमें प्रतिशन 1147 आये है, उसको देखे तो अभी भी लगभग 25% रिक्रूटमेंट हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न न. 10 ए में अनुमोदित रोस्टर मांगा गया था रोस्टर ना देने का क्या कारण है?

ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- सर हमारा जो रोस्टर है वह हर लेवल पर मेंटेन होता है जैसे क्लास 3 और क्लास 2 का जो रोस्टर है वो डीवीजन का रिक्रूटमेंट होता है तो वो जो है हमारा 113 डीवीजन है वो लोग अपना मेंटेन करते है और सेंट्रल ऑफिस

के पास क्लास-1 कैडर का जो है जिसमें initial recruitment रहता है उनका रोस्टर हमारे पास रहता है और वह हमने भेजा भी है, उसका समरी भेजा है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> आपने एक साल का समरी भेजा है रोस्टर नहीं भेजा है।

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Volume बहुत है हमारा और हमने हमारे सारे रोस्टर ऑफिस के साइट पर डाल के रखा है सर। हमारे ऑफिस के डोमेन में है, हमारे कर्मचारी देख सकते है।

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Can we send soft copy madam?

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Yes sir.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997 का कट ऑफ डेट का रोस्टर आयोग को उपलब्ध कराइये।

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- ठीक है सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> प्रश्न न. 10बी में जो आपने ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट के बारे में बताया है। इसमें ये बताया जाये कि ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट किस डेट में किया गया था और किस अधिकारी के अनुमोदन से किया गया है?

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Grouping is given by the DFS.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> It is approved by Ministry?

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Yes sir.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> प्रश्न न. 12 में पूछा गया था कि लेवल वाईज कितना ओबीसी के प्रमोशन दिया है?

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- Sir, we will submit this but can we take cut off date again 1993 because उसके पहले वाले अगर कोई है तो वो प्रमोट हुए तो we will not be able to identify.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> हां 1993 के बाद के दे दीजिये ।

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- ठीक है सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> ओबीसी के कैंडिडेटस को Pre-promotional training न देने का क्या कारण है और इसके संदर्भ में डीएफएस का रूल क्या है?

<u>ईडी(एचआर), लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- सर जो हमें instructions दिये गये है Pre-promotional training के वो केवल एससी एसटी के लिये है ओबीसी के लिये नहीं है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> आप इस बात को शपथ पत्र पर लिखकर आयोग को दीजिये कि ओबीसी को Pre-recruitment training दी जाती है और Pre-promotional training देने का कोई रूल नहीं है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> ओबीसी का लाईसन ऑफिसर ओबीसी वर्ग का न बनाने का क्या कारण है?

<u>चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी</u>:- सर, we are giving in the cadre of scale 5 officer, senior DGM के रैंक में हम लगाते है, regularly, पिछले वर्षों में ओबीसी रह चुके है but we are looking overall. लेकिन अगर ओबीसी के कैंडिडेट है तो हम देख लेंगे।

37

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ओबीसी वर्ग के लाईजन ऑफिसर को ओबीसी वर्ग से न बनाये जाने के कारण को भी आप शपथ पत्र पर दीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ओबीसी का अलग से सेल क्यों नहीं बनाया गया और इसके संदर्भ में डीएफएस की गाइडलाइन क्या है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir, I would like to verify it, I will respond you later.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी तथा डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी के सदस्यों की जानकारी मांगी गयी थी इस प्रश्न का उत्तर आयोग को शपथ पत्र पर दिया जाये और पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक लेवल के रिक्रूटमेंट कमेटी प्रमोशन के डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी के सदस्यों का नाम, कैटेगरी और उनका ओबीसी प्रमाण पत्र आयोग को शपथ पत्र पर उपलब्ध कराया जाये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- क्या ओबीसी का इंटरव्यू जनरल से अलग किया जाता है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर। अलग से होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- इसका जवाब भी शपथ पत्र पर दीजिये कि आप लोग अलग कराते है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Annual Report में ओबीसी का चैप्टर as per rule सम्मिलित किया गया है, as per DFS guidelines, as per DoPT guidelines. Please give this reply on Affidavit.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपने एक रिप्लाई में हमको दिया है कि in respect of Subsidiaries Companies we would like to inform that as these are formed under the Companies Act, the rule of reservation do not apply to them.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- तो 51% से अधिक Govt. Organisation का शेयर होने के बावजूद भी सब्सिडियरीज कंपनियों में आरक्षण का नियम क्यों नहीं लागू होगा इसके संबंध में डीएफएस या डीओपीटी का कोई गाइडलाइन हो तो बताया जाये।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir I will verify because for many year this is the position sir but I will verify sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- नहीं वहां तो कोई डीएफएस या डीओपीटी या भारत सरकार या वित्त मंत्रालय कहीं ना कहीं इसको ना करने के लिये गाइडलाइन तो होगा।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- हां सर है। अभी मैं दे नहीं पाउंगा। immediately, because for all reservation for SC ST and OBC also we have been maintaining this for many years so I will check up and respond to you sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयौग:- ठीक है आज शाम 5 बजे तक इसको आयोग को भिजवाइये पूरा गाइडलाइन।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- किन किन कम्पनियों में एलआईसी का 50% से अधिक शेयर है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- आईडीबीआई बैंक में 51% है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- यूटीआई में कितना शेयर है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- लगभग 18% है। वो अभी लिस्टिंग होने वाला है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether Chairman, Life Insurance Corporation of India Limited affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of Life Insurance Corporation of India Limited and its subsidiaries? Yes or No.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether CVC has issued instructions for effective and rotational transfer of officials and staff posted in sensitive positions in the year of 1999, 2001, 2008 and 2012 respectively;

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether the Life Insurance Corporation of India Limited and its subsidiaries have identified the sensitive posts and has been effecting rotational transfer, if so, please give the post-wise identification and transfer of sensitive posts since three years on Affidavit.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether the CVC on 11.09.2013 prescribed the Government to identify the sensitive posts and staff working in these posts and also to ensure that they are strictly rotated after every two/three years to avoid developing vested interest, if so, please give the details along with rotational transfer's details since three years?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Ok sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Details of OBC official working on sensitive post?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please give the reply of following questions on Affidavit: Whether separate registers/ roster registers shall be maintained for appointments made by direct recruitment and promotion?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Right Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether in case of promotion, separate registers / roster registers shall be maintained for each mode of promotion viz. limited competitive examination, selection, non-selection, etc.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Right Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether a separate register / roster register shall be maintained for purely temporary appointments of 45 days or more but which have no chance whatever of becoming permanent or continuing indefinitely.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether immediately after an appointment is made, the particulars of the person appointed shall be entered in the register / roster register in the appropriate columns and the entry signed by the appointing authority or by an officer authorized to do so.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether no gap shall be left in completing the register / roster register.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether the register / roster register shall be maintained in the form of a running account year after year.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether in case of cadres where reservation is given by rotation, fresh cycle of roster shall be started after completion of all the points in the roster.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether after every recruitment year, an account shall be noted at the end of the last entry of the year in the reservation register indicating representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and details of backlog reserved vacancies etc.

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether Life Insurance Corporation of India Ltd. has/had recommended as their nominee-directors on the board of various companies; if so, the details thereof during the last 10 years along with details of nominee-directors belonging to OBCs on the board of various companies?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप लोग नॉमिनी डायरेक्टर भेजते है क्या?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- हां सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- उसकी लिस्ट दी जाये और उसमें ओबीसी का क्या रिप्रिजेन्टेशन है?

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Pre-recruitment की डिटेल में बताया गया है कि दिल्ली रीजन में 52 लोगों ट्रेनिंग दी गयी है। इन 52 लोगों की लिस्ट और इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराइये तथा नार्थ जोन में दी गयी ट्रेनिंग की सूची व ओबीसी सर्टिफिकेट भी आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- बहुत धन्यवाद। शपथ पत्र आज शाम तक आयोग को उपलब्ध कराइये और बाकी की डिटेल जितनी जल्दी हो सके आयोग को उपलब्ध कराइये।

चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी:- धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री एम. आर. कुमार)
चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

31

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/11/151/2019-KSP

लाईफ इन्शुरेंस कंपनी के साथ दिनांक 22.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री राजेश कुमार दूबे, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक), लाईफ इन्शुरेंस कंपनी
5. श्री पी.एस. नेगी, मुख्य संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.), लाईफ इन्शुरेंस कंपनी
6. श्री अशोक कुमार, शिकायतकर्ता

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि पिछली सुनवाई के बाद लाईफ इन्शुरेंस कंपनी ने ओबीसी के संदर्भ में क्या क्या सुधार किये, जिसके संबंध में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि पिछली बार कुछ मुद्दे उठाये गये थे जिसमें एक रिक्रूटमेंट के संबंध में था, अभी तक नई रिक्रूटमेंट शुरु नहीं हुई है और एक मुद्दा लाईफ इन्शुरेंस कंपनी में इंटरव्यू कमेटी से संबंधित था उसके संदर्भ में हमने पूरा संज्ञान लिया हुआ है उसमें जो भी निर्देश है उनका पूरी तरह से पालन किया जायेगा।
2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी ओबीसी उम्मीदवारों का सेपेरेट इंटरव्यू करतें है जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि ओबीसी उम्मीदवारों का सेपेरेट इंटरव्यू करते है।
3. माननीय आयोग द्वारा मुख्य संपर्क अधिकारी से पूछा गया कि आप ओबीसी के आरक्षण संबंधी नियम के बारे में क्या जानते है जिसके जवाब में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 1993 के बाद से ओबीसी को आरक्षण दिया गया है और केंद्र में 27% आरक्षण है और जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के लिये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग प्रतिशत है।

माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या आप रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में जानते है जिसके जवाब में मुख्य़ संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसी जुलाई के शुरू के सप्ताह में मुझे मुख्य संपर्क अधिकारी बनाया गया है। माननीय आयोग द्वारा यह जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिये कहा गया।

4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी में ओबीसी वर्ग से कोई अधिकारी नहीं है जिसको ओबीसी का चीफ लाईसन ऑफिसर बनाया जा सके जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी में चीफ लाईसन ऑफिसर जो बनाये जाते हैं वह सीनियर कैडर से बनाये जाते है जो अभी उस कैडर में ओबीसी के जो अधिकारी पहुँचे हुए है वह वर्ष 1993 से पहले के रिक्रूटमेंट वाले लोग हैं। माननीय आयोग द्वारा यह जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिये कहा। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वर्ष 1993 से पहले कितने ओबीसी के कैंडीडेट है जो सामान्य वर्ग पर आयें है, जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध करा देंगे।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी की कुल कितनी सब्सिडियरीज़ कम्पनियां है और इनमें कितने अम्पलाई कार्यरत हैं जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी की सब्सिडियरीज कम्पनी में एलआईसी पेंशन फंड एवं एलआईसी कार्ड्स हैं और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंफर्म कर आयोग को बतायेंगे और इन सब्सिडियरीज कम्पनियों में लाईफ इन्शुरेंस कंपनी का 100% शेयर है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी हाउसिंग में कितने कर्मचारी हैं जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि 2433 के करीब कर्मचारी कार्यरत हैं।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि भारत सरकार का कौन सा नियम है जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार का शेयर 51% से ज्यादा है तो वहां आरक्षण लागू नही होता है। जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है।

7. आयोग द्वारा शिकायतकर्ता श्री अशोक कमार से पूछा गया कि आपकी क्या शिकायत है जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी द्वारा 3 बार रिक्रूटमेंट किया गया है किन्तु उनकी सिलेक्शन कमेटी में ओबीसी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि इनमें कितने पदों पर रिक्रूटमेंट हुआ है जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि इसमें कुल 930 पद थें। जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी में रिटायर्ड अधिकारियों को ही रखा जाता है। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आयोग को भारत सरकार का वह नियम उपलब्ध कराया जाये जिसमें कहा गया हो कि सिर्फ रिटायर अधिकारियों को ही सिलेक्शन कमेटी में रखा जा सकता है

8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी में क्लास-2 में 694 पदों और क्लास - 3 में 417 पदों का शार्टफॉल क्यों है, जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि क्योंकि उस समय कैंडिडेट ही कम आये थे और हम अगल से रिक्रूटमेंट करेंगे तो यह संज्ञान में लिया जायेगा।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि डीएफएस के द्वारा अंतिम बार लाईफ इन्शुरेंस कंपनी का रोस्टर रजिस्टर कब वेरिफाई किया गया था जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 के रोस्टर रजिस्टर डीएफएस द्वारा वेरिफाई हुए हैं । माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या लाईफ इन्शुरेंस कंपनी के रोस्टर रजिस्टर वेबसाइट पर अपलोड है जिसके जवाब में बताया गया कि लाईफ इन्शुरेंस कंपनी का वर्ष 2020 तक का रोस्टर रजिस्टर वेबसाइट पर अपलोड है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि जब रोस्टर डीएफएस द्वारा वेरिफाई नहीं है तो वेबसाइट पर क्यों अपलोड है जिसके जवाब में कार्यकारी निदेशक द्वारा बताया गया कि रोस्टर रजिस्टर लाईफ इन्शुरेंस कंपनी के संपर्क अधिकारी द्वारा वेरिफाई है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर में स्वैपिंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, जिसके जवाब में कार्यकारी

निदेशक द्वारा कहा गया हम गलती को सही करेंगे और कार्यवाही के लिये लाईफ इन्शुरेंस कंपनी का अपना प्रोसेजर है।

आयोग द्वारा अपेक्षित समस्त जानकारी 3 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जायें।

(श्री पी.एस. नेगी)
मुख्य संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.),
लाईफ इन्शुरेंस कंपनी

(श्री राजेश कुमार दूबे)
कार्यकारी निदेशक (कार्मिक.),
लाईफ इन्शुरेंस कंपनी

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/11/151/2019-KSP

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ दिनांक 04.01.2022 की सुनवाई का कार्यवृत

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
2. **श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**

भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से बैठक में उपस्थित अधिकारिगण:-

1. **श्री राजेश कुमार दुबे, कार्यकारी निदेशक(कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम**
2. **श्री सतपाल भानू, क्षेत्रीय प्रबंधक(कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम**
3. **श्रीमति प्रतिभा सिंह, चीफ (कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम**
4. **श्री नितिन कुमार, सचिव (कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम**
5. **श्रीमति रूपम नखवा, उप सचिव, भारतीय जीवन बीमा निगम**

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास-II ऑफिसर (विकास अधिकारी) की भर्ती में संबंधित राज्य के अनुसार आरक्षण दिया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास-II की भर्ती मंडलीय स्तर पर व क्लास-III की भर्ती मंडलीय स्तर पर की जाती है और क्रमशः क्षेत्रीय व मंडलीय स्तर पर विज्ञापन निकाला जाता है तथा भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवार उसमें प्रतिभाग करते है और उसमें भारत के किसी भी राज्य के उम्मीवारों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसमें संबंधित राज्य के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। माननीय आयोग द्वारा संबंधित नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम में वर्ष 1993 से क्लास-II, क्लास-III व क्लास-IV में अभी तक कुल कितनी नियुक्तियां की गयी है उसकी वर्ष-वार, राज्य-वार (प्रतिशत सही) विज्ञापन सहित डाटा माननीय आयोग को उपलब्ध कराया जाएं।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा डीओपीटी व डीएफएस द्वारा जारी जिन नियमों का अनुपालन नही किया गया है उस पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगें उसकी जानकारी आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध करायी जाएं।

उपरोक्त सभी जानकारी माननीय आयोग को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्रीमति रूपम नखवा)
उपसचिव, भारतीय जीवन बीमा निगम

(श्री नितिन कुमार)
सचिव (कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम

(श्रीमति प्रतिभा सिंह)
चीफ (कार्मिक), भारतीय जीवन बीमा निगम

(श्री सतपाल भानू)
क्षेत्रीय प्रबंधक(कार्मिक),
भारतीय जीवन बीमा निगम

(श्री राजेश कुमार दुबे)
कार्यकारी निदेशक(कार्मिक),
भारतीय जीवन बीमा निगम

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, 04/01/2022
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग